

CERTIFICATE-1 (प्रमाण पत्र-1)

अनुसूचित-जाति/जन-जाति (UPSC/UPST/GDSC/GDST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0 पुत्र/पुत्री श्री
..... निवासी गाँव/शहर तहसील

जिला प्रदेश का जन्म

जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित-जाति/जन-जाति आदेश (संशोधन) एक्ट 1956 के अन्तर्गत
भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन सरकार द्वारा मान्य
अनुसूचित-जाति/जन-जाति है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान

हस्ताक्षर

नाम:

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

Note: Performa of certificate shall be changed according to latest Govt. order.

CERTIFICATE-2 (प्रमाण पत्र-2)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र (UPBC/GDBC)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 सुपुत्र/सुपुत्री श्री
..... निवासी गाँव/शहर तहसील

जिला उत्तर प्रदेश राज्य की पिछड़ी जाति के
व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश के लोकसेवा अनुसूचित-जातियों/अनुसूचित-जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों
के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0
उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 (अधिसूचना सं0- 22/16/92- का 02/1995 टी0 सी0 दिनांक 08
दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कु0 तथा अथवा उनका परिवार उत्तर
प्रदेश के ग्राम नगर जिला

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान

हस्ताक्षर

नाम:

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

Note: That the certificate no. 2 for OBC candidates will be entertained only if it is issued on or after 01-04-2026 (mandatory due to creamy layer for OBC)

CERTIFICATE-3 (प्रमाण पत्र-3)

उत्तर प्रदेश के मूल/सामान्य निवासी के पुत्र/पुत्री (UPGD/GDSC/GDST/GDBC)
(उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित जिस जिले के माता/पिता निवासी है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)
..... पिता/माता श्री/कु0 (अभ्यर्थी का नाम) उत्तर
प्रदेश के गाँव/शहर तहसील जिला
..... के मूल निवासी है तथा श्री/कु0 (अभ्यर्थी का नाम)
के माता पिता परपूर्णतया आश्रित है। उक्त पते पर श्री/कु0 (अभ्यर्थी का नाम)
..... के माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट

पूरा नाम

पदनाम

मुहर (जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिलामजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिलामजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट
द्वारा प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा0आ0 सं0- 157/तीन-2003-77(II)/83 दिनांक 18 फरवरी
2003 के अधीन जारी किया जायेगा।

नोट- प्रमाणपत्र-3 अभ्यर्थी के माता/पिता का बना होना चाहिए क्योंकि अभ्यर्थी जिन्होंने अर्हकारी
परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी विद्यालय से उत्तीर्ण की है परन्तु उनके माता/पिता उत्तर
प्रदेश के मूल/स्थाई निवासी हैं परीक्षा में बैठने के पात्र है।

CERTIFICATE-4 (प्रमाण पत्र-4) (Sub-Category UPPF)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और
भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रतासेनानी के आश्रिता के
प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)
..... निवासी ग्राम तहसील नगर.....
..... जिला उत्तर प्रदेश लोकसेवा
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण)
अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती (आश्रित अभ्यर्थी का नाम).....
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम, 1993 के ही
प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के
आश्रित हैं।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट

पूरा नाम

मुहर (जिला मजिस्ट्रेट की सील)

Note: Proforma of certificate may be changed according to latest Govt. order.

CERTIFICATE-5 (प्रमाण पत्र-5)

Part-A

उत्तर प्रदेश / सेनादल (Sub-Category UPAF)

(अंतिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)
..... निवासी गाँव/शहर तहसील जिला
..... उत्तर प्रदेश के दिनांक को सेवानिवृत्त
(Superannuated) युद्ध में मारे गये/अपंग हो गये/उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तैनात है। वे भारतीय
थलसेना/जलसेना/वायुसेना के स्थान दिनांक
..... से दिनांक तक कार्यरत थे/है।

दिनांक
स्थान

यूनिट कमान्डिंग आफिसर के हस्ताक्षर
पूरा नाम
मुहर (जिला मजिस्ट्रेट की सील)

Part-B

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम)
..... निवासी गाँव/शहर तहसील जिला
..... उपरोक्त सेना दल के सेवानिवृत्त (Superannuated) युद्ध में मारे गये/अपंग हो
गये/उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं/थे, पुत्र/पुत्री हैं अथवा प्रवेश प्रवेश परीक्षा की तिथि को उत्तर प्रदेश
भारतीय थल सेना/जलसेना/वायुसेना में कार्यरत थे/है।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
नाम
मुहर

CERTIFICATE-6 (प्रमाण पत्र-6) (Sub-Category UPHC)

शारीरिक विकलांग के अधिमान के लिए प्रमाणपत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 (अभ्यर्थी का नाम)
.....पुत्र/पुत्री श्री (पिता का नाम).....
..... नीचे लिखे कारणों से शारीरिक रूप से विकलांग हैं।
(केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही कारण लिखें)
2. अभ्यर्थी की उपरोक्त विकलांगता को निम्न प्रकार की विकलांगता की श्रेणी में रखा जा सकता
है। केवल ✓ का निशान लगाये।

Type-I Minimum 40% permanent Visual Impairment	
Type-II Minimum 40% permanent Locomotor disability	
Type-III Minimum 40% permanent Speech Hearing impairment	

- 3- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विकलांग स्थिति अभ्यर्थी के इन्जीनियरिंग शिक्षा
प्राप्त करने में बाधक नहीं होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम:
दिनांक:

चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर
नाम:
मोहर

CERTIFICATE-7 (प्रमाण पत्र-7)
अखिल भारतीय सेवा के उ0प्र0 कैंडर के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी का नाम)

..... पदनाम विभाग का नाम

..... अखिल भारतीय सेवा के उ0प्र0 कैंडर के अधिकारी/कर्मचारी है तथा वर्तमान

में इस कार्यालय में कार्यरत है। यह प्रमाणपत्र इनके पुत्र/पुत्री (अभ्यर्थी का नाम).....

..... को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, कानपुर के अन्तर्गत प्रवेश

हेतु प्रदान किया जाता है।

दिनांक:

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

CERTIFICATE-8 (प्रमाण पत्र-8)
(Income Certificate)

क्षेत्रीय भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि

..... (आवेदक के अभिभावक/माता/पिता का नाम) सुपुत्र

निवासी/ग्राम परगना

तहसील नगर जिला

..... राज्य के स्वयं की मासिक आय रूपया

स्थान:

तहसीलदार
मुहर

नोट - अभ्यर्थी ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर अभियर्थियों के लिए प्रमाण पत्र अप्रैल ०१ २०२६ के पश्चात बना हुआ होना आवश्यक है।

CERTIFICATE-9 (प्रमाण पत्र-9)
FORMAT FOR MEDICAL CERTIFICATE
 (To be obtained from a Chief Medical Officer)

This Certificate has to be submitted at the time of admission in the college allotted.

Name of Candidate:		Age:		Sex:		
Roll No.:		Category:		Sub-Category & Weightage:		
JEE Rank		Father's Name:				
(To be filled in by the Candidate)						
L.T. Height:	M.I. Weight:	Chest:	Abdomen:	Vision	Colour Vision: Without Glass: With Glass:	
History		Operation	Kockh's Colics		B.P.	
Pallor	Seizures	Asthma	Piles	Diabetes		
E X A M I N A T I O N	Pulse	Tonsil	DNS	Hernia		
	Pallor	L.Nodes	CSOM	Hydrocele		
	Cardiovascular		CNS			
	Respiratory		GIT			
Genitourinary		Others				
Is the candidate physically Handicapped / Disabled:		(Please tick): Yes/No				
If yes, type of handicap/disability:		Type-I Minimum 40% permanent Visual Impairment				
(Please tick ✓ the type of handicap/disability)		Type-II Minimum 40% permanent Locomotor disability				
		Type-III Minimum 40% permanent Speech Hearing impairment				
Any other finding:						
Certified that the candidate is physically fit/unfit/temporally disqualified to pursue engineering studies						

Signature of Candidate

Signature of the issuing Medical Officer (with official stamp)

CERTIFICATE-10 (प्रमाण पत्र-10)

E.W.S.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम तहसीलदार महोदय, तहसील (उ0प्र0) भारत—
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति
प्रमाण पत्र।

प्रमाण पत्र सं०

दिनांक

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा

पोस्ट आफिस थाना

ब्लाक तहसील राज्य

पिन कोड के स्थायी निवासी हैं। जिसका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित
है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके
परिवार की कुल वार्षिक आय 08 लाख (आठ लाख रुपये) से कम है इनके परिवार के स्वामित्व
में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है।

1. 5 (पांच) एकड़ कृषि योग्य भूमि या इसके ऊपर।
2. एक हजार वर्गफिट अथवा इससे अधिक का आवासीय का फ्लैट।
3. अधिसूचित नगर पालिका से अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
4. अधिसूचित नगर पालिका से अन्तर्गत 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
5. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के सदस्य हैं
जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित

हस्ताक्षर

(कार्यालय का मुहर)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी